मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

// अधिसूचना //

भोपाल, दिनांक 5 फरवरी, 2013

क्रमांकः एफ12-14/2009/नियम/चार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन का कम्युटेशन) नियम,1996 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम-10 के उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"(1) ऐसे किसी भी पेंशनर का, जिसने उसकी पेंशन का एक भाग कम्यूट किया हो, सेवानिवृत्ति की तारीख से 15 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् आगामी मास के प्रथम दिन को, उसकी पेंशन का कम्यूट किया गया हिस्सा प्रत्यावर्तित हो जाएगा ।"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मनीष रस्तोगी)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

Government of Madhya Pradesh
Finance Department
Mantralaya, Bhopal

Bhopal, dated 5 February, 2013

No. F-12-14/2009/Rule/IV, In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1996. namely:-

AMENDMENT

In the said rules, for sub-rule (1) of Rule 10, the following sub-rule shall be substituted, namely :-

"(1) A pensioner who has commuted a portion of his pension will have his commuted portion of pension restored from the first day of the following month after 15 years from the date of retirement."

By order and in the name of
Governor of Madhya Pradesh

(Manish Rastogi)
Secretary,
To Government of Madhya Pradesh
Finance Department

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 12-14/2009/नियम/चार भोपाल, दिनांक 3-4-2013

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय- मध्य प्रदेश सिविल सेवा (पेंशन का कम्प्यूटेशन)नियम, 1996 में संशोधन ।
संदर्भ- वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक 12-14/2009/नियम/चार, दिनांक 5 फरवरी, 2013.

विषयान्तर्गत संदर्भित अधिसूचना के द्वारा पेंशन सारांशीकृत राशि को सेवानिवृत्ति के 15 वर्ष पश्चात् आगामी माह के प्रथम दिन को प्रत्यावर्तित किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं । यह निर्देश इस आधार पर हैं कि सामान्यतः सेवानिवृत्ति के तुरंत पश्चात् पेंशन सारांशीकृत राशि एक मुश्त भुगतान की जाती है । इस एकमुश्त राशि का समायोजन आगे आने वाले 15 वर्षों में पूर्ण हो जाता है ।

2/ शासन के ध्यान में आया है कि कतिपय पेंशनर शासन द्वारा जारी किये गये नये कम्प्यूटेशन टेबल का लाभ उठाकर अपनी पेंशन को सारांशीकृत कराना चाह रहे हैं । ऐसी स्थिति में यदि 15 वर्ष की अवधि उनके सेवानिवृत्ति की तारीख से संगणित की जाती है, तो उन्हें सारांशीकृत राशि का एकमुश्त भुगतान तो हो जावेगा, परंतु ऐसे पेंशनरों की सारांशीकृत राशि अपेक्षाकृत कम समय में प्रत्यावर्तित हो जावेगी, जो उचित नहीं है । कतिपय मामलों में यह अवधि 5 वर्ष तक ही रह सकती है ।

3/ उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुये निर्णय लिया गया है कि वित्त विभाग के द्वारा ज्ञाप क्रमांक एफ 12-4/2009/नियम/चार दिनांक 5-2-2013 द्वारा जारी की गई अधिसूचना में "सेवानिवृत्ति" के स्थान पर "सारांशीकरण" शब्दों का संशोधन किया जावे । निर्णय के परिप्रेक्ष्य में जारी किये गये संशोधन की अधिसूचना भी संलग्न है । यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पेंशन का आशय मूल पेंशन से है न कि वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 9/2/2009/नियम/चार(भाग-1) दिनांक 3 अगस्त, 2009 द्वारा समेकित पेंशन से ।

4/ संलग्न अधिसूचना के फलस्वरूप अब सारांशीकृत राशि का प्रत्यावर्तन सारांशीकरण, की तिथि से 15 वर्ष पूर्ण होने के अगले माह की प्रथम तारीख से, संभव हो सकेगा । यह आदेश/अधिसूचना दिनांक 5-2-2013 से प्रभावशील है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मनीष रस्तोगी)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

// अधिसूचना //

भोपाल, दिनांक 3-4-2013

क्रमांक: एफ12-14/2009/नियम/चार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन का कम्युटेशन) नियम,1996 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम-10 के उपनियम (1) की दूसरी पंक्ति में "सेवानिवृत्ति" के स्थान पर "सारांशीकरण" पढ़ा जावे

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मनीष रस्तोगी)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

Government of Madhya Pradesh
Finance Department
Mantralaya, Bhopal

Bhopal, dated 3-4-2013

No. F-12-14/2009/Rule/IV, In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1996. namely:-

AMENDMENT

In the said rules in the sub-rule (1) of Rule 10, in the fourth line, for word "Retirement" the word " Commutation " shall be substituted .

By order and in the name of
Governor of Madhya Pradesh

(Manish Rastogi)
Secretary,
To Government of Madhya Pradesh
Finance Department